



# कार्यालय, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति, राँची (पंचायत शाखा)

## विज्ञापन संख्या- 880(ii)/2020-21

ग्रामीण विकास विभाग, (पंचायती राज) झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 395 दिनांक 19.02.20121 के आलोक में 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत, राँची जिला के पंचायतों में सेवा अनुबंध के लिए योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०	पद का नाम	कोटि जिनके लिए पद आरक्षित है					कुल पद	मासिक मानदेय
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR		
1	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	15	0	1	1	17	34	10000/-प्रतिमाह

### लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर

#### (क) आरक्षण नीति :

लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए पैनल निर्माण में राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

#### (ख) उम्र सीमा :-

लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के पैनल में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्षों की छुट प्रदान की जायेगी।

#### (ग) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी०कॉम/बी०एस०सी० (गणित/सांख्यिकी)/बी०ए० (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 45% होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव :- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

### आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया

(क) आवेदक, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

(ख) आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन, आवेदन शुल्क एवं सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ बंद लिफाफे में आवेदन हाथों-हाथ राँची समाहरणाल, राँची ब्लॉक-ए, तीसरा तल्ला कमरा संख्या-313, जिला पंचायत कार्यालय राँची में समर्पित करेंगे। अन्य माध्यम यथा-ई-मेल, पंजीकरण डाक, कुरियर से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	लेखा	500	सामान्य
	लिपिक-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर	300	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिला

- (घ) आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, राँची के नाम से बैंक ऑफ इंडिया में भुगतान हो के माध्यम से देय होगा।
- (ङ) आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अक्टूबर 2021 अपराह्न 05:00 बजे तक है। उक्त समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी विलम्ब के लिए चयन समिति जवाबदेह नहीं होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतिक्षा किये बिना ससमय आवेदन समर्पित कर दें।
- (ज) प्राप्त आवेदन में से मूल्यांकन उपरान्त पैनल निर्माण उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया एवं मेघा सूची ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड की अधिसूचा संख्या 395 दिनांक 19.02.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में की जायेगी।
- (झ) उपरोक्त लेखा लिपिक-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर के पदों के विरुद्ध सेवा अनुबंध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-395 दिनांक 19.02.2021 में दिये गये सेवा शर्तों के अधीन होगी, उक्त अधिसूचनाएँ वेबसाईट [WWW.ranchi.nic.in](http://WWW.ranchi.nic.in) पर देखी जा सकती है।

ह०/-

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
राँची।